MMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.) Complaint or report madeon 302// Name and address of the Complainant..... 311-9-31187 Name, parentage, caste and address of accused

WITH 3 to 2100 510 76 510 25 8100 28 810 (क्रिक्टा 510 इस्मीयट शक्ता 19 aig (B) 5214 510 71100 032101 20 014 (9) लेक्सण ३१७ भागीर के के अवादा है अववित 217FT. 170 DIET 01012 2129 MEMMI -SIVE The offence, complainant of, and date of, its alleged commission आप पर आरोप है कि दिनांक ार्रा की करीब 16.230 बजे मुकाम सार्वजनिक स्थान डि. हि. हार्क के पत्नों रेक रेक में पर ताश के पत्नों से रूपये पैसे की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए। ऐसा करके आपने सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 की धारा 13 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। The plea of the accused and his examination (if any) अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है। The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक ...!ऽ-!!-! को घोषित)

01. आरोपी/गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक धुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

का दावा पात हुए पापास्थ प्रशास किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध अमिलेख पर कोई 02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध अमिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अमिलिखत नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को पूर्व दोषसिद्धि अमिलिखत नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी गण को सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत दृष्टिगत रखते हुये आरोपी गण को सार्वजनिक धृत अधिनयम 1867 की धारा 13 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए अर्थदण्ड १००००००००० रूपये (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड की राषि के संदाय के अभियुक्त की देषा में अभियुक्त गण को किया जाता है। अर्थदण्ड की साधारण कारावास भुगताया जाते।

03. अभियुक्तगृण से जप्तषुदा राशि २२५० अपील अवधि पश्चात् राजसात् की जाये तथा जप्तसुदा मूल्यहीन सम्पत्ति ताश ५२० पत्तों को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सुपुर्दगी पर दी गयी संपत्ति के संबंध में सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। जब्तशुदा अन्य संपत्ति अपराध से संबंधित एवं

उसकी विषय वस्तु न होने से जिस व्यक्ति से जब्त की गयी उसे लौटाई जावे।

मेरे निर्देशन प्रद्वित

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)